DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- । नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 14 दिसंबर 2023 D

अवैध निर्माण का स्थायी समाधान क्या होगा?

डेढ़ हज़ार अवैध कॉलोनियां, एक झटके में समाधान मुश्किल

Gulshan.Khatri@timesgroup.com

■ **नई दिल्ली:** दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों और अन्य कॉलोनियों में अवैध निर्माण को तोड़फोड़ से बचाने के लिए भले ही संसद में फिर से बिल लाया गया हो, लेकिन इस समस्या के स्थायी समाधान की राह में अभी भी कई अड़चनें हैं। इसकी वजह है कि दिल्ली में डेढ़ हजार से अधिक अनधिकृत कॉलोनियां और झुग्गी बस्तियां हैं, जिनका समाधान एक ही झटके में होना मुश्किल है।

दिल्ली के प्लानिंग से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि केंद्र सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक देने के लिए पॉलिसी तैयार की लेकिन उसके तहत भी लोगों ने अधिक भागीदारी नहीं की। इन कॉलोनियों को रहने लायक बनाने के लिए मास्टर प्लान में प्रावधान का दावा किया जा रहा है लेकिन चार साल बीतने के बावजूद अनधिकृत कॉलोनियों में उम्मीद से भी कम लोगों ने मालिकाना हक के लिए आवेदन किए। अगर सरकार को इन कॉलोनियों का रिडेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले यहां रहने वालों को मालिकाना हक की जरूरत होगी। इसी तरह से झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के लिए 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' योजना भी उतनी रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रही।

बिल लाने की बजाय इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए

सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए, जिसमें लोग खुद भागीदार बनने के लिए तैयार हों: एक्सपर्ट्स

ऐसे में भले ही सरकार ये उम्मीद कर रही हो कि 2026 से पहले मास्टर प्लान के तहत पॉलिसी बनाकर इन अवैध बस्तियों व अन्य अवैध निर्माण का समाधान खोज लिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि जो बिल इस बार लोकसभा में लाया गया है, उसी तरह के बिल 2006 से नियमित अवधि में संसद में लाकर इन बस्तियों में तोड़फोड़ से बचाया जा रहा है। हर बिल की अवधि समाप्त होने के बाद फिर से बिल लाकर अवधि को बढ़ा दिया जाता है। इस बार भी 2023 में ये अवधि समाप्त हो रही थी इसलिए उसे अब तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

महत्वपूर्ण है कि अगर पॉलिसी बन भी जाती है तो उसमें लोगों को कैसे तैयार किया जाएगा। ऐसे में एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी होगी, जिसके तहत लोग खुद इसमें भागीदार बनने के लिए तैयार हों। डीडीए के पूर्व प्लानिंग कमिश्नर ए.के. जैन का कहना है कि इस तरह के बिल लाने से मास्टर प्लान ही कमजोर होते हैं और अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलता है।

इसकी बजाए सरकार को अवैध निर्माण के लिए सख्ती दिखानी चाहिए और कम से कम बार बार अवैध निर्माण करने की कट ऑफ डेट नहीं बढ़ानी चाहिए। दिल्ली नगर निगम की निर्माण कमिटी के पूर्व अध्यक्ष जगदीश ममगाई का कहना है कि हर बार बिल लाने की बजाय राजनीति से उपर उठकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
THURSDAY, 14 DECEMBER, 2023 | NEW DELHI

RS----------DATED----------

NGT seeks response of DPCC, DDA over pollution of SW Delhi pond

NEW DELHI: The National Green Tribunal has sought the response of the Delhi Pollution Control Committee, the South Delhi district magistrate, Delhi Development Authority and the Delhi Wetland Authority on a petition regarding the alleged encroachment and pollution of a pond in southwest Delhi. The green body also denounced the Delhi Development Authority's (DDA) conduct for not taking action despite violation of environmental laws.

According to the petition, besides illegal constructions on the pond adjacent to Kishangarh Village (near Vasant Kunj), the water body is also being polluted by solid and liquid waste.

Despite violations of environmental norms, the DDA, which is statutorily responsible for the pond's maintenance, has failed to take any action, it said.

A bench of National Green Tribunal Chairperson Justice Prakash Shrivastava and Expert Member A Senthil Vel noted that the tribunal in February had sought a factual report from a joint committee comprising the Delhi Pollution Control Committee (DPCC), South Delhi district magistrate, DDA and the Delhi Wetland Authority.

After the DDA filed a "cryptic report" in September, the tribunal directed the district magistrate to file a fresh report, it said.

In an order passed on December 8, the tribunal noted the district magistrate's submissions, according to which the demarcation of the pond land was being carried out and it would be completed within a month.

It further noted the DDA's submission that suitable action would be taken against the people responsible for the alleged encroachment after the completion of the demarcation work and that the authority would also take appropriate measures to prevent the discharge of untreated sewage and removal of solid waste. PTI